रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]	दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 23, 2013/आश्विन 1, 1935	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 138
No. 153]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 2013/ASVINA 1, 1935	[N.C.T.D. No. 138

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उच्च शिक्षा विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 23 सितम्बर, 2013

सं. फा. डीएचई-6(26)/एसीएमएस/2012-13/पार्ट फाईल/2830.—दिल्ली व्यवसायिक महाविद्यालयों अथवा संस्थानों (केपिटेशन शुल्क पर प्रतिबंध, प्रवेश का विनियमन, उचित शुल्क का निर्धारण तथा गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय) (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का दिल्ली अधिनियम 07) की धारा 01 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 20 सितंबर, 2013 को वह तिथि नियत करते हैं जिस दिन उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

NOTIFICATIONS

Delhi, the 23rd September, 2013

No. F. DHE-6(26)/ACMS/2012-13/Pt. File/2830.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence) (Amendment) Act, 2013 (Delhi Act 07 of 2013), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints the 20th day of September, 2013, as the date on which the said Act shall come into force.

सं. फा. डीएचई-6(26)/एसीएमएस/2012-13/पार्ट फाईल/2831.—दिल्ली व्यवसायिक महाविद्यालयों अथवा संस्थानों (केपिटेशन शुल्क पर प्रतिबंध, प्रवेश का विनियमन, उचित शुल्क का निर्धारण तथा गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय) अधिनियम, 2007 की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को दिल्ली व्यवसायिक महाविद्यालयों अथवा संस्थानों (केपिटेशन शुल्क पर प्रतिबंध, प्रवेश का विनियमन, उचित शुल्क का निर्धारण तथा गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय) अधिनियम, 2013 कहा जाएगा ।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. **सेना कल्याण शिक्षा सोसायटी द्वारा संचालित आर्मी कॉलेज ऑफ मेडीकल साइंसिस में सीटों का आवंटन एवं आरक्षण.**—दिल्ली व्यवसायिक महाविद्यालयों अथवा संस्थानों (केपिटेशन शुल्क पर प्रतिबंध, प्रवेश का विनियमन, उचित शुल्क का निर्धारण तथा गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय) अधिनियम, 2013 द्वारा सन्निविष्ट अधिनियम की धारा 12 के परन्तुक में यथा उपबंधित को छोड़कर तथा धारा 12 की उप-धारा (2) के प्रावधानों को पूरा करने के पश्चात् सेना कल्याण शिक्षा सोसायटी द्वारा संचालित आर्मी कॉलेज ऑफ मेडीकल साइंसिस् द्वारा शेष सीटें सेवारत सेना कार्मिकों, पूर्व सेना कार्मिकों तथा युद्ध विधवाओं या सेना कार्मिकों की विधवाओं के पात्र बच्चों के लिये अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) के खंड (ग) में उल्लिखित "कोई अन्य श्रेणी" के अन्तर्गत आरक्षित रखी जाएंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

राजेन्द्र कुमार, सचिव (उच्च शिक्षा)

No. F. DHE-6(26)/ACMS/2012-13/Pt.File/2831.—In exercise of the powers conferred by Section 22 of the Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation fee, Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence) Act, 2007 (Delhi Act 08 of 2007), the Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, Fixation of Non- Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. **Allocation and reservation of seats in the Army College of Medical Sciences run by Army Welfare Education Society.**—Save as provided in proviso under Section 12 of the Act, as inserted vide the Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence) Act, 2013 (Delhi Act 07 of 2013) and after fulfilling the provisions of sub-section (2) of Section 12, the Army College of Medical Sciences run by Army Welfare Education Society shall reserve the remaining seats for the wards of eligible serving army personnel, ex-army personnel and war widows or widows of the army personnel under the "any other category" provided under clause (c) of sub-section (2) of Section 12 of the Act.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAJENDRA KUMAR, Secy. (Higher Education)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054